भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3595**

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष का आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकरण**

3595. डॉ. आनंद कुमार गोंड:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुष को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत करने तथा आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों तथा दवाओं की गुणवत्ता तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की तर्ज पर देश के प्रत्येक जिले में आयुष अस्पताल, औषधालय, स्वास्थ्य तथा अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने के लिए कोई योजना है/ऐसी किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

**(क):** आयुष मंत्रालय आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुष चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण और आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल कर रहा है:

i. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत स्थापित आयुष वर्टिकल, आयुष-विशिष्ट जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वर्टिकल जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, आयुष शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए रणनीति विकसित करने में दोनों मंत्रालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

ii. आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों में संयुक्त रूप से एकीकृत आयुष विभागों की स्थापना की है। इस पहल के हिस्से के रूप में, एकीकृत चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई है और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज तथा सफदरजंग अस्पताल एवं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली में यह कार्य कर रहा है।

iii. एकीकृत चिकित्सा के विभिन्न मॉडलों के मौजूदा ज्ञान एवं प्रभावकारिता तथा बड़े पैमाने पर इसके लाभों का अध्ययन करने और व्यापक एकीकृत स्वास्थ्य नीति के ढांचे का प्रस्ताव लाने के लिए डॉ. वी. के. पॉल, माननीय सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

iv. भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना करने की कार्यनीति अपनाई है ताकि रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विकल्प उपलब्ध हो सकें। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत साझा जिम्मेदारियों के रूप में सहायता दी जाती है।

v. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए आयुष मॉड्यूल - इंटर्नशिप इलेक्टिव्स फॉर एमबीबीएस विकसित किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक-पूर्व आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम-2022 के विनियम 10 (7) के अनुसार, आयुर्वेद शिक्षण सामग्री के पाठ्यक्रम में आधुनिक प्रगति का अनुपात 40 प्रतिशत तक होगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के तहत होम्योपैथिक शिक्षा बोर्ड ने चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के बारे में छात्रों को जानकारी देने के लिए शुरू में ही नैदानिक अवसर , ऐच्छिक की शुरूआत, संकाय विकास कार्यक्रम, फाउंडेशन कार्यक्रम, इंटर्नशिप के अंत में फिनिशिंग कार्यक्रम, फार्माकोलॉजी तथा मनोविज्ञान जैसे नए विषयों को शामिल करने जैसी विभिन्न नई पहलें की हैं।

vi. आयुष मंत्रालय के तहत अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ आयुष के एकीकरण के लिए की गई पहलों का विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

viii. आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं, यथा आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना (आईसी), सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देना, औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की योजना (सीडीएसएमएमपी), आयुर्स्वास्थ्य योजना और आयुर्ज्ञान। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान और अनुसंधान परिषदें स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति के समन्वय, निरूपण, विकास, संवर्धन और लोकप्रिय बनाने के कार्य में लगी हुई हैं। आयुष मंत्रालय के तहत दो सांविधिक निकाय नामत: भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नियामक आयोग के रूप में काम कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयुष चिकित्सा पद्धति को डिजिटल रूप से बढ़ावा दे रहा है।

(ख): आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा सोवा रिग्पा चिकित्सकों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिये भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने एनसीआईएसएम (आचार एवं पंजीकरण) विनियम 2023 अधिसूचित किया है। उक्त विनियम में, अध्याय-III के अंतर्गत, चिकित्सकों के अधिकार और विशेषाधिकार विहित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अध्याय-IV के अंतर्गत, व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक विहित किए गए हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) राज्य होम्योपैथिक परिषदों/बोर्डों के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए आचार संहिता) विनियम 2022 के प्रावधानों को अमल में लाकर देश भर में मानकीकृत होम्योपैथी पद्धतियों के माध्यम से होम्योपैथी चिकित्सकों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करता है। आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थान,

आयुष चिकित्सकों और छात्रों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए एनसीआईएसएम और एनसीएच द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं।

आयुष मंत्रालय ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) (आयुष) और आयुष अस्पतालों के लिए भारतीय जन-स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) शुरू किए हैं। यह अवसंरचना, मानव संसाधनों, उपकरण, औषधियों और सेवाओं के लिए समान मानकों का एक सेट है। इन मानकों से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निरंतर और उच्च गुणवतायुक्त आयुष स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए विशेष नियामक प्रावधान हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों से संबंधित प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV-क और अनुसूची-I में तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 169, अनुसूची ई (1), न तथा न-क में निहित हैं। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की दूसरी अनुसूची (4-क) में होम्योपैथिक औषधियों के लिए मानकों का प्रावधान है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 2-घघ, 30-कक, 67 (ग से ज), 85 (क से ठ), 106-क, अनुसूची-ट, अनुसूची ड-I होम्योपैथिक औषधियों से संबंधित हैं। विनिर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे सुरक्षा एवं प्रभावशीलता के प्रमाण सहित विनिर्माण इकाइयों और औषधियों के लाइसेंस हेतु निर्धारित अपेक्षाओं का पालन करें, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-न तथा अनुसूची ड-I के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) और संबंधित भेषजसंहिताओं में दी गई औषधियों के गुणवत्ता मानकों का पालन करें।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच), जो आयुष मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो एएसयू एंड एच औषधियों की गुणवत्ता (पहचान, शुद्धता और ताकत) का पता लगाने के लिए सरकारी सार-संग्रह के रूप में काम आता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियमों के अनुसार, भारत में विनिर्मित होने वाली एएसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।

आयुष मंत्रालय ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना यथा आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है जिसे स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 16.03.2021 को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का पांच वर्षों के लिए कुल बजट आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक निम्नप्रकार हैं:

i. उच्च मानक हासिल करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
ii. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता।
iii. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे को सुदृढ़ करना।
iv. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों एवं सामग्रियों के मानकों के विकास तथा मान्यता/प्रमाणन हेतु सहायता।

(ग) और (घ): जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में आयुष अस्पतालों की अवसंरचना की स्थापना करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, आयुष मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय संस्थानों तथा अनुसंधान परिषदों के माध्यम से आयुष अकादमिक और

अनुसंधान संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव भेजकर पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

*****

**संलग्नक**

**आयुष मंत्रालय द्वारा अपनी अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से की गई पहलों का विवरण**

| **क्र. सं.** | **अनुसंधान परिषदें/राष्ट्रीय संस्थान** | **पहलों का विवरण** |
|---|---|---|
| 1 | केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) | केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) ने अनुसंधान अध्ययन शुरू किए हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस (घुटने) के प्रबंधन के लिए तृतीयक देखभाल अस्पताल (सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली) में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ एकीकृत करने की व्यवहार्यता का संभावना का पता लगाने के लिए प्रचालनात्मक अध्ययन, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) स्तर पर राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) शुरू करने की व्यवहार्यता, और कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम तथा नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) में आयुष पद्धतियों का एकीकरण, तथा महाराष्ट्र के चयनित जिले (गढ़चिरौली) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) में आयुर्वेद उपचार शुरू करने की व्यवहार्यता (प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर प्रसव पूर्व देखभाल (गर्भिणी परिचार्य) के लिए आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावशीलता: एक बहु केंद्र परिचालन अध्ययन)। इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और सीसीआरएएस ने आईसीएमआर की बाह्य अनुसंधान योजना के अंतर्गत एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केन्द्रित करते हुए चिन्हित क्षेत्रों पर अनुसंधान करने के लिए एम्स में आयुष-आईसीएमआर एडवांस्ड सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च (एआई-एसीआईएचआर) स्थापित करने की पहल की है। |
| 2 | केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) | केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) ने डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, डा. डीडीयू अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली और मुंबई में जे.जे. अस्पताल में चार पुनर्स्थापन केन्द्र स्थापित किए हैं। यूनानी चिकित्सा को एकीकृत और बढ़ावा देने के लिए परिषद द्वारा आधुनिक शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। |
| 3 | केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) | केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग द्वारा अनुसंधान करके मुख्यधारा के स्वास्थ्य देखभाल के साथ होम्योपैथी के |

| | | |
|---|---|---|
| | | एकीकरण की दिशा में काम कर रही है। परिषद ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली; लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली; दिल्ली छावनी जनरल अस्पताल, नई दिल्ली; बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश; सिविल अस्पताल, आइजोल, मिजोरम और जिला अस्पताल, दीमापुर, नागालैंड में विभिन्न नैदानिक स्थितियों पर उपचार प्रदान करने के लिए एलोपैथिक अस्पताल में होम्योपैथी उपचार केन्द्र की सह-स्थापना की है। परिषद ने होम्योपैथी को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के साथ जोड़ने की पहल की है जिसके तहत विभिन्न जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे होम्योपैथी के लिए एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम का एकीकरण, स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (एसआरपी), 'स्वस्थ दांत निकलने के लिए होम्योपैथी' कार्यक्रम जो 'स्वस्थ बच्चे के लिए होम्योपैथी' और अनुसूचित जाति घटक योजना (एससी घटक योजना) का एक घटक है। |
| 4 | केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) | केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) ने आधुनिक उपचारों के साथ-साथ आयुष उपचारों की प्रभावकारिता और सुरक्षा को मान्य करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नैदानिक परीक्षणों को प्रोत्साहित करके आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के साथ सिद्ध पद्धतियों को एकीकृत करने के लिए पहल की है। सीसीआरएस के अंतर्गत सिद्ध नैदानिक अनुसंधान एकक, सफदरजंग, नई दिल्ली के माध्यम से सिद्ध चिकित्सा पद्धति के जरिए कैंसर रोगियों की उपशामक देखभाल में सहायता करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में एकीकृत सिद्ध कैंसर ओपीडी और सफदरजंग अस्पताल में सिद्ध कैंसर ओपीडी कार्य कर रही है। सीसीआरएस ने कैंसर प्रबंधन, प्रजनन और शिशु देखभाल और पुनर्योजी चिकित्सा हेतु सहयोगी अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने के लिए एम्स ऋषिकेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। |
| 5 | केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) | केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) देश भर में हार्ट फेल्योर पर बहु-केंद्रित अध्ययन परियोजना पर आईसीएमआर टास्क फोर्स का एक हिस्सा है। |
| 6 | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली में, एकीकृत आयुष चिकित्सा केंद्र (यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी), एकीकृत कैंसर उपचार केंद्र, एकीकृत दंत चिकित्सा केंद्र, एकीकृत क्रिटिकल देखभाल और आपातकालीन चिकित्सा केंद्र, एकीकृत अस्थि रोग केंद्र, |

| | | |
|---|---|---|
| | | एकीकृत आहार विज्ञान तथा पोषण केंद्र और आपातकालीन ओपीडी अनुभाग के तहत एकीकृत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा सेवा यूनिट, एम्स झज्जर में एकीकृत चिकित्सा सेवा यूनिट और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान-एम्स, झज्जर में एकीकृत चिकित्सा सेवा केंद्र में स्थापित अनुषंगी नैदानिक सेवा इकाइयों के माध्यम से भी एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एआईआईए और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर-आईसीएमआर) के संयुक्त उद्यम के रूप में एआईआईए, नई दिल्ली में एक एकीकृत अर्बुदविज्ञान केन्द्र (सीआईओ) की स्थापना की गई है। एआईआईए में सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी (सीआईओ) से आयुष जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी (एजेआईओ) प्रकाशित किया जा रहा है। इस संस्थान में आयुर्वेद के वैश्विक संवर्धन और अनुसंधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक केंद्र भी है। |
| 7 | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ एकीकृत अनुसंधान आयोजित करता है। |
| 8 | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) | सिद्ध चिकित्सा पद्धति में एकीकृत अनुसंधान को बढ़ावा देने और चेट्टीनाड अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान (सीएचआरआई) में आने वाले रोगियों को सिद्ध उपचार प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) ने चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर) के साथ संयुक्त रूप से केलंबक्कम में एक उन्नत सिद्ध स्पेशियल्टी ओपीडी का उद्घाटन किया। एनआईएस, एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन (एमएएचई), मणिपाल, कर्नाटक में स्पेशलिटी इंटीग्रेटिव ट्रेडिशनल सिद्ध मेडिसिन ओपीडी (एसआईएसएमओ) का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा, एनआईएस ने कैंसर रोगियों को एकीकृत उपचार प्रदान करने के लिए सिद्ध एकीकृत कैंसर देखभाल केंद्र (एस-आईसीसीकेयर सेंटर) शुरू किया है। |